न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 121 सन 2018
अनवान :–

1. कमलकंवर पत्नी देवीसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर।

बनाम **वादीया**

1. ओमपालसिह उर्फ ओमसिह पुत्र उदयसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर।
2. जयवीरसिह पुत्र उदयसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 03।01।2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 76/53(257) किला न0 1/2की 0.2280 , 2ता 3 ,8 ता 9 /1. 0120हैक , 10/1 की 0.2270 प0न0 76/45 (256) किला न0 4 ता 7 की 1.0120हैक कुल 2.4790हैक भूमि सुगनकंवर पत्नी लूणसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली ने जरिये बैयनामा दिनांक 16.06.1933 को उदयसिह पुत्र लालसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली से खरीद की थी जो आजतक वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में प0न0 76/45(256) किला न0 4 ता 7 की 1.0120हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हो गई है एवं प0न00 76/53(257) के किला न0 4 ता 7/1.0120हैक भूमि सुगनकंवर पत्नी लूणसिह के नाम से दर्ज हो गई है। किन्तु मौका पर वादीया का कब्जा बैयनामा के अनुसार ही है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हक हिस्सा के अनुसार बाहमी बटवारा करवा लिया है जिसके अनुसार प0न0 76/45(256) के किला न0 4 ,5/0.506हैक प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है एवं प0न0 76/45(256) किला न0 6 ,7/0.506हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। किन्तु उक्त भूमि पर कब्जा वादिया का ही है।

सुगनकंवर पत्नी लूणसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली ने अपने जीवनकाल में ही बेयनामा से खरीद की गई भूमि की वसीयत दिनांक 18.06.1993 को अपने सगे देवर की पुत्र वधु वादिया के पक्ष में करवाई जा चुकी है एवं सुगनकंवर का देहान्त दिनांक 07.07.2013 को हो चुका है इसलिये वादीया वाद भूमि की वसीयत के अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुकी है किन्तु वादीया के हक हिस्सा की भूमि जो सुगनकंवर के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई थी अपने नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीका वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीक वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि सुगनकंवर पत्नि लूणसिह के द्वारा खरीद की गई भूमि है जो सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते सहमय बेयनामा के अनुसार नामान्तकरण दर्ज ना कर चार बीधा भूमि

प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज कर दी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं प्रतिवादी के हक हिस्सा की भूमि वादीया के नाम एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दजर्द्य की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेशि किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 76/53(257) किला न0 1/2की 0.2280 , 2ता 3 ,8 ता 9 /1.0120हैक , 10/1 की 0.2270 ,प0न0 76/45 (256) किला न0 4 ता 7 की 1.0120हैक कुल 2.4790हैक भूमि सुगनकंवर पत्नी लूणसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली ने जरिये बैयनामा दिनांक 16.06.1933 को उदयसिह पुत्र लालसिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली से खरीद की थी जो प्रस्तुत बैयनामा से साबित हौ।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प0न0 76/45(256) किला न0 4 ता 7 की 1.0120हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हो गई है एवं प0न00 76/53(257) के किला न0 4 ता 7/1.0120हैक भूमि सुगनकंवर पत्नी लूणसिह के नाम से दर्ज है।

इसप्रकार राजस्व रिकार्ड मं अंकन करते समय वादीया के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज हो गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि वादीया के नाम से दर्ज हो गई जो संशोधन योग्य है जिसके सम्बध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 आपस में सहमत भी है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

सुगनकंवर पत्नि लूणसिह ने अपने जीवनकाल में अपनी खरदीशुद्वा भूमि की वसीयत दिनांक 16.06.1993 को वादीया के पक्ष में की गई थी एवं सुगनकंवर पत्नि लूणसिह का देहान्त दिनांक 7.7.2013 को हो चुका है जो प्रस्तुत वसीयत एवं मृत्यू प्रमाण पत्र से साबित है इसप्रकार वादीया सुगनकंवर पत्नि लूणसिह की वसीयत के अनुसार एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की सहमति के आधार पर सुगनकंवर पत्नि लूणसिह के बेयनामा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जकार धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 76/53(257) किला न0 1/2 की 0.2280हैक , 2 ता 3 ,8 ता 9/1.012हैक , 10/1 की 0.2270हैक प0न0 76/45(256) किला न0 4 ता 7/1.012हैक , कुल 2.4790हैक भूमि की वादीया एवं पन0 76/53(257) किला न0 4 ,5/0.506हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 तथा प0न0 76/53(257) किला न0 6 ,7/0.506हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो बैक ऋण यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/09/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official